तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म की तालीम में जारी हुए
5/11/17	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्षकारान हाजिर। वकील वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया है। वकील प्रतिवादी सं० 2 ने जवाबदावा पेश नहीं किया अपितु सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण बहस हेतु सहमत है। बहस पहले वकील वादीगण की सुनी गयी। दौराने बहस कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता खड़मल पुत्र राम सहाय के नाम दर्ज है। तथा वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकि है। वाद ग्रस्त भूमि 1810, 1811, 1839 तन ग्राम कावंट पर तथा भूमि ख० नं० 1794, 1795 तन ग्राम घसीपुरा पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ~~पड़ोसी~~। वह पड़ौसी काश्तकार है। जो वादीगण की भूमि की मेंड डोल नष्ट कर भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। तथा जो रास्ते राजस्व रिकार्ड के अनुसार है पर अतिक्रमण कर रखा है। तथा प्रतिवादीगण 3 ता 8 से साज कर जबरन वादीगण की भूमि में रास्ता बनाने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	किया जाये। तथा 1 ता 14 प्रतिवादीगण ने भी आपस साज कर वादीगण को नुकसान पहुंचाने एवं कब्जा काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा के चलते साज कर वादी की भूमि ख०नं० 1795 तन ग्राम धनीपुरा तह० खण्डौली में बिना काश्तकार की सहमति के विद्युत पोल खड़े कर ट्रांस्फार्मर प्रतिवादी नं०1 की भूमि में से हटाकर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी वादीगण की भूमि में लगा दिया है। भूमि ख०नं० 1795 में लगा ट्रांस्फार्मर प्रतिवादी सं०1 ता 14 के खर्चे से हटाया जाये तथा भविष्य में विद्युत ट्रांस्फार्मर व पोल स्थापित नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। वाद पत्र खारीज करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों का विरोध कर बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी तथा उस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक पेश शुदा जमाबन्दी / राजस्व रिकार्ड वाद ग्रस्त भूमियां वादीगण के पिता के नाम से भूमिया है। प्रतिवादी सं०1 व 2 को वाद ग्रस्त भूमियों की सीवं डोल नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः इन्हे पाबन्द किया जाना उचित है। तथा प्रतिवादी सं०10 ता 14 विद्युत	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	विभाग के अधिकारी है। अतः विधुत विभाग अपने विभागिय नियमों के अनुसार कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र है। अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-	
	आदेश	
	प्रतिवादी सं० 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी कब्जा व काश्त की भूमि ख०नं० 1810, 1811, 1839 किता-3 कुल रकबा 1.17 है० वन ग्राम कांवट व भूमि ख०नं० 1794, 1795 किता-2 रकबा 0.94 है० वन ग्राम धनीपुरा तहसील खण्डेला के कब्जा काश्त मे मजाहमत नही करे ना ही वादीगण को बेदखल करें ना ही सीमें डोला नष्ट करे। प्रतिवादी सं० 10 लगायत 14 विधुत विभाग के अधिकारी विद्युत विभाग के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

(1) तेजाराम (2) नानकचन्द (3) मंगलचन्द समस्त पुत्रगण रुडमल जाति खटीक निवासी तन ग्राम कांवट तह० खण्डेला जिला सीकर राज० (वादीगण)

बनाम

(1) गीगाराम उर्फ गिरधारी पुत्र नामालुम जाति माली
(2) लालचन्द पुत्र गीगाराम जाति माली

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 27 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री द्वारका प्रसाद सैनी एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री सुभाषचन्द्र शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि प्रतिवादी स०1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख०न० 1810, 1811, 1831 किता-3 कुल रकबा 1.17 हे० तन ग्राम कांवट व भूमि ख०न० 1794, 1795 किता-2 रकबा 0.94 हे० तन ग्राम घासीपुरा तहसील खण्डेला के कब्जा काश्त मे मदाखलत नही करे ना ही वादीगण को बेदखल करेना ही तोड़फोड़ नष्ट करे। प्रतिवादी स०1 0 लगायत 14 विधुत

निज..................मुबलिग..बाबत..................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 11 सन 19 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ...
(रणजीत सिंह)
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

निवासी मालियों का मोहल्ला कावट तहसील खण्डेला
जिला सीकर राज०
(3). पटवारी हल्का कावट
4. उपतहसीलदार खण्डेला
5. अधिकारी तहसीलदार
6. ग्राम पंचायत कावट तहसील खण्डेला जरिये सरपंच
7. ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत कावट
पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर (राज०)
8. कार्यकारी अधिकारी नरेगा एवं विकास अधिकारी
प. स. खण्डेला जिला सीकर राज०
9. किशोर कुमार पुत्र मूलचन्द जाति नायक निवासी गाडोदा
तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज०)
10. सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० कावट
11. कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० कावट
12. अधिशाषी अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण नि० लि० नीमकाथाना
13. अधिक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण नि० लि० सीकर
14. मुख्य प्रबन्धक अजमेर विद्युत वितरण नि० लि० अजमेर।

(प्रतिवादीगण)

विभाग के अधिकारी विद्युत विभाग के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।

5/11/19
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner